

Olo C. R. Section (RTH)  
Dairy No. 1244974/2017  
Date 09/04/2017

संख्या. ए-43011/333/2017-आरटीआई  
भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
\*\*\*

5वां तल, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन,  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003  
दिनांक: 30<sup>th</sup> अगस्त, 2017

विशय: श्री दया किशन जोशी, एफ-104, गली नं० 4, पश्चिमी करावल नगर, डाकखाना-करावल नगर, दिल्ली - 110090 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6 (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आवेदन/प्रतिवेदन दिनांक 11.08.2017 जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आरटीआई सैल, नई दिल्ली के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं० ए-60011/एफटीएस - 630169/2017 - आरटीआई सैल द्वारा प्राप्त हुआ (जो आरटीआई सैल में दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जनसूचना अधिकारी/जनप्राधिकारी आवेदक को निर्धारित समय के भीतर मांगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी है।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

अंलग्नक : यथोपरि प्रेषित

अ.कु.मंडल 30<sup>08</sup>/<sub>2017</sub>

(अरुण कुमार मंडल)

अवर सचिव भारत सरकार


दूरभाष सं० 011-24365053

प्रेषित :

1. श्री डी०के० पांडा, सीपीआईआ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पं० दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. श्री एम० रामा कृष्णन, सीपीआईओ एवं अवर सचिव (एनएसपी), ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, कमरा संख्या 604, ब्लॉक-11, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
3. अवर सचिव (पीएंडपीआई), कमरा सं० 501, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
4. उप निदेशक (पीजी) एवं सीपीआईओ-131 कमरा सं० 5, भूतल, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001
5. सीपीआईओ, आरटीआई सैल, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
6. उप मुख्य महाप्रबंधक एवं पीआईओ (एचक्यू), दिल्ली परिवहन निगम कार्यालय, सिधिया हाउस, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित

श्री दया किशन जोशी, एफ-104, गली नं० 4, पश्चिमी करावल नगर, डाकखाना-करावल नगर, दिल्ली - 110090:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.8.2017 जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आरटीआई सैल, नई दिल्ली के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं० ए-60011/एफटीएस - 630169/2017 - आरटीआई सैल द्वारा प्राप्त हुआ (जो आरटीआई सैल में दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपयुक्त सीपीआईओ/जन प्राधिकारियों से सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।



Scanned & sent to  
03/11/17 Bn. Ashok Prasad  
7/11/17  
60/RTI/17

1

Nirman Bhawan, New Delhi  
DATE: 17.08.17

Subject:-Application under Right to Information Act-2005

Please find enclosed application dated 11.08.17 under RTI Act, 2005 made Shri Daya Kishan Joshi, received through R&I on dated 14.08.17.

Fee under RTI Act. 2005 has been paid

- a The Post Office/Bank -
- b In another Department -
- c In RTI Cell - BPL

2 It is requested that the information sought may be provided to the applicant directly. If information does not pertain to you, RTI application may be forwarded/transferred to the concerned CPIO, in terms of Section 6(3) of the RTI Act, 2005, for providing the information to the applicant.

*Neeru Lal*  
17/8/17  
(Neeru Lal),

Section Officer-in-charge,  
Tel.No.011-23063682

*RTI Cell*

To

Ms. Alka Ahuja,  
Deputy Secretary,  
Ministry of Health & FW,  
Department of AIDS Control, NACO,  
9th Floor, Chandralok Building, 36, Janpath, New Delhi.

*(K)*  
29/08/2017

Copy to:-

*US (AKM)*

Director / IFD  
Diary No. 1700  
Dated 29/08/17

1. The CPIO, Directorate of Health Services, Govt. of NCT of Delhi, F-17, Kakardooma, Delhi. A copy of RTI application is enclosed herewith with the request to provide information in respect of concerning point no. to the applicant directly under intimation to this Ministry.
2. The CPIO, Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Disability Affairs, Shastri bhawan, New Delhi. A copy of RTI application is enclosed herewith with the request to provide information in respect of concerning points to the applicant directly under intimation to this Ministry.
3. Shri Daya Kishan Joshi, F-104, Gali No. 4, West Karawal Nagar, PO - Karawal Nagar, Delhi - 110090 for information. Hindi version will follow.
4. Hindi Section for translation.

*29/8/17*  
*29/8/17*

*19/8/17*  
*05:05 P.M.*  
**MOST URGENT**  
**RTI Cell**  
*s/sh. R. V. / Mani-ni*  
**Pl. put up URGENTLY.**





(4) यह आर्थिक सहायता / आर्थिक सहायता अनुभाग (Financial Support / Assign under Section) संकलन विभाग (विभागा राष्ठीय रक्षण विभाग, दिल्ली सरकार) द्वारा HIV/AIDS पीड़ित लोगों एवं उनके जो इस अनुभाग से लाभ नहीं हो जाते हैं प्रस्तावित विवरण है।

(5) पाँच वर्ष से पहले सरकार द्वारा आर्थिक सहायता को पेंशन (Pension) नहीं कर रहे हैं। तथा संचालन विभाग द्वारा जो हर महीने हमारे खाते में नहीं पहुंचा जा रही है।

(6) पाँच वर्षों में 60 पर आर्थिक सहायता को 1000 से 2000 रुपये नहीं कर रहे हैं।

(7) DSAC Society को यह कार्य दिया हुआ है मगर वह हमेशा ही Fund (फंड) का बचाना करने में रुकावट है तथा बिना किसी भी प्रकार के सुधारों के।  
D/O RD, Railway, D/O RD

(8) DTC, Metro, Railway, Insurance में भी की जा रही थी सेवा इन सब नहीं दिया जा रहा है।

(9) HIV/AIDS पीड़ित लोगों एवं उनके जो तथा BPL परिवारों को 2004 (सरकार) को लाभ नहीं सुविधा देने वाली है। तथा 2007 को जारी की गया Policy को सुधार के बिना पूर्ण समझाते नहीं कर रहे।

(10) 2004 (सरकार) के पास जो इस लक्ष्य उद्देश्य एवं बीमार लोगों एवं उनके जो 1000 रुपये प्रति महीना देने के लिए जो 2004 के पास रखे जाते हैं जो इतनी तथा शकती आ गई है। तथा सरकार को हमसे भी मिलने नहीं है।

Copy to: For information:-  
संबन्धी

भारत सरकार, दिल्ली  
विभागा राष्ठीय रक्षण विभाग, दिल्ली  
आर्थिक सहायता अनुभाग, दिल्ली  
दस्तावेज नं. 110066

3 महीने की अवधि  
F-104, GALIN 04  
WEST KARAWALNAGAR  
P.O. KARAWALNAGAR  
DELHI - 110090

साइबली दुकाने अर्थात् से. (1000 रुपये अर्थात् से) का  
धोता है. तथा वह भी कभी भी समय पर नहीं मिल  
पती है.

साइबली DSACs टैकेटा शेरी रहते हैं. तथा कभी  
रहते हैं कि इसे Fund से नहीं मिलता है तथा  
जब से यह शुरू शुरू हुए जन 2012 से तब से यह  
हानि है. NAC द्वारा भी कोई भी पत्राचार टैकेटों की कोर्टों  
सुनवाई नहीं मिलती है. नवल पत्रों पर DSACs को नोटिफिकेशन है.  
साइबली आय प्रदाय करने इस आर्थिक स्थिति को  
पैदा करने रूप में कि समाज कल्याण विभाग द्वारा  
प्राप्त करने की प्रयत्न करें.

साइबली आय प्रदाय करने (1000 रुपये से) (3000 रुपये  
अर्थात् फंडों की प्रयत्न करें.

साइबली टैकेटों के लिए वी.आर. लोग एवं वरिष्ठों का  
दवाय परिवार सदा ही आपका आगोश रहेगा.

साइबली टैकेटों विभाग द्वारा देवे से सरकार के पास  
अपमान की प्रय एवं प्रदाय से (विशेष रूप से) तथा ब्यापकता  
की कोर्टों की कभी नहीं है.

(आपकी आर्थिक प्रयत्न करें)

BPL Cell No.  
BPL Cell No  
077002831906

(गणनी)

दयालुता की शी  
F-104 Cell No 4  
WEST KARAWAL NAGAR  
Post office KARAWAL NAGAR  
DELHI - 110090

- 1) Honble Chief Minister of Delhi - 110002
- 2) Honble Lt. Governor of Delhi - 110054
- 3) Honble H&F Welfare Minister of Delhi - 110002
- 4) Honble Dte General Health Services - 110032
- 5) Honble H&F Family Welfare Department  
 Honble Secretary of NCT of Delhi - 110002
- 6) Honble National AIDS Control Organ. Con. Secy India  
 Delhi State AIDS Control Society Rohini
- 7) Honble Chief Secretary of Delhi - Delhi-85

सादर निवेदन है कि, पास गरीबों एवं  
 बीमार लोगों को देने के लिए हमें पीसा हो  
 जा रहा है।

सादर निवेदन है कि HIV/AIDS पीड़ा लोगों एवं समाज  
 को उपशान्त बनाने के लिए भी प्रयत्न हो रहा है।  
 सब अपने कर्तव्य को निभाए।

सादर निवेदन है कि आप अपने इस प्रतिपादन को  
 करने की कृपा करें। तथा इस बीमार एवं  
 गरीब लोगों को अपने कर्तव्य पर दया करने की  
 कृपा करें। इस आपसे सहायता आशा है।  
 धन्यवाद।

(आपकी कृपा के लिए)

(पुष्पा)  
 देवा प्रियंका देवी  
 पति सती HIV/AIDS पीड़ा  
 लोगों को पीसा हो रहा है।